



4074.फैक्स-0135-2651060 ई-मेल-nagarnigam.ddn@gmail.com

## कार्यालय नगर निगम, देहरादून।



### सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत दुधारू पशुओं के व्यावसायिक डेरी परिसरों के कारण होने वाली विभिन्न नागरिक समस्याओं के समाधान तथा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत उपविधि का प्राख्यान व प्रवर्तन प्रस्तावित है :-  
पशुओं को आवादा छोड़ दिये जाने के कारण सड़क परिवहन में अवरोध/दुर्घटनाओं/पशु केंद्रित व पशु जनित हिंसा की समस्या के निवारण, आवादा छोड़ दिये गये अनुत्पादक एवं उद्दण्ड/आक्रामक पशुओं में परस्पर संघर्ष अथवा कियित प्रकारणों में आमजनो पर आक्रमण से बचाव एवं जनसुरक्षा, ऐसे गोवंशीय पशुओं की तस्करि/ गोहत्या/ चोटिल हो जाने के कारण शांति एवं कानून व्यवस्था को सम्भावित चुनौती, पशुओं द्वारा पॉलीथीन/कचरा खाये जाने के कारण मृत्यु होने के कारण शांति एवं कानून व्यवस्था को सम्भावित चुनौती, डेरी परिसरों के कारण गोबर/गोमूत्र के अनुचित प्रबन्धन के कारण नालियों में अवरोध/गन्दगी/दुर्गन्ध/मक्खियों तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु।

### वैधानिक प्राविधान :-

क. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत प्राविधान :-

- 1) अधिनियम की धारा-540 एवं धारा-453 (अध्याय XVI - Regulation of Markets, Slaughter-houses, certain trades and acts etc.) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन एवं अनुज्ञा के क्रम में उपविधि का प्राख्यान प्रस्तावित है। 2) धारा-438 एवं धारा-440 के अनुरूप नगर निगम द्वारा अनुज्ञा प्रदत्त डेरी स्वामियों द्वारा ही व्यावसायिक डेरी परिसरों का संचालन किया जाना अपेक्षित है। 3) धारा-451(3) के अनुरूप डेरी स्वामी द्वारा कानूनी प्राविधानों (अधिनियम/नियम/उपनियम) के अनुरूप निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर, व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन हेतु निर्गत अनुज्ञा को निरस्त किये जाने का प्राविधान है। 4) धारा-467 के अनुरूप किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्राविधानों (अधिनियम/नियम/उपनियम/उपविधि/ प्रतिबन्ध/शर्त/नोटिस) के उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर दण्डित किये जाने का प्राविधान है।

ख. उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 एवं संशोधन अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत प्राविधान :-

- 1) अधिनियम की धारा-7 के अनुरूप राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक गोवंश का पंजीकरण अनिवार्य है तथा धारा-8 के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में गोवंशीय पशुओं को आवादा छोड़ने का प्रतिषेध है। इन दोनों ही प्राविधानों के उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर अधिनियम की धारा-11(3) एवं धारा-11(क) के अनुरूप नगर आयुक्त द्वारा अर्धदण्ड आरोपित कर शमन (compounding) की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

ग. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2021 के बिन्दु संख्या-07 में नगर निकाय द्वारा डेरी/गोशालाओं को पंजीकृत करने का प्रावधान है।

नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत दुधारू पशुओं के व्यावसायिक डेरी प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु अनुज्ञा दिये जाने के क्रम में प्रस्तावित उपविधि का आलेख

1. नाम - यह उपविधि 'नगर निगम, देहरादून डेरी/डेरी पशु उपविधि, 2022' कहलाएगी।

2. परिभाषा -  
(क) "डेरी पशु" से तात्पर्य गाय, बैल, भैंस, भैंसा एवं उनकी संतति से है। (ख) "दुग्धशाला" से तात्पर्य उस परिसर से है जहाँ दुधारू पशुओं को रखा जाता है। (ग) "पशुचिकित्सा अधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम में शासन द्वारा प्रतिनियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी से है अथवा पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक अथवा इससे उच्च उपाधिधारक जो संघ अथवा राज्य पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकृत हो से है। (घ) "व्यावसायिक डेरी परिसर" से तात्पर्य ऐसे परिसर से है, जहाँ 5 अथवा 5 से अधिक वयस्क डेरी पशु को रखा गया हो, से है। (ङ) "गोशाला" से तात्पर्य पशु कल्याण हेतु राज्य पशुकल्याण बोर्ड में पंजीकृत संस्था से है, जो कि अलमकारी गोवश की देख-रेख के लिए स्थापित की गई हो। (च) "अलमकार पशु" से तात्पर्य अनुत्पादक, वृद्ध, बीमार एवं घायल निराश्रित गोवंश तथा पुलिस-प्रशासन/नगर निकाय द्वारा मोतस्करों अथवा पशु क्रूरता के प्रकरणों में जब किये गये केस प्रापटी गोवंश से है।

3. कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के परिसर का उपयोग उक्त प्रयोजन (डेरी) के लिये जारी की गयी अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा व न ही किसी को भी उपयोग करने की अनुमति देगा।

### 4. अनुज्ञा हेतु प्रतिबन्ध

- (क) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डेरी परिसर संचालित किये जाने हेतु अथवा डेरी पशु पालने हेतु नगर निगम द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। (ख) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डेरी परिसर के संचालन हेतु अथवा डेरी पशु पालने हेतु अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदक को नगर निगम के फल में नगर निगम बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ, प्रारूप-1 के अनुरूप निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (non refundable) होगा। (ग) व्यवसायिक डेरी परिसर के संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से नियमानुसार सी0टी0ओ0 (Consent to Operate) प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। (घ) श्रीमान नगर आयुक्त द्वारा, अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों/दल द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा, जिसके द्वारा प्रारूप-2 पर स्थलीय निरीक्षण उपरत आस्था प्रस्तुत की जायेगी। (ङ) श्रीमान नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी निरीक्षण दल की प्रारूप-2 पर प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आस्था के आलोक में सम्बन्धित व्यावसायिक डेरी परिसर को अनुज्ञा प्रदत्त किये जाने के क्रम में निर्णय लेगे। अनुज्ञा दिये जाने हेतु उपयुक्तता की स्थिति में, व्यावसायिक डेरी परिसर में वयस्क तथा अवयस्क पशुओं की अधिकतम अनुमन्य संख्या उल्लिखित करते हुए प्रारूप-3 के अनुरूप अनुज्ञापत्र निर्गत किया जायेगा। (च) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर अनुज्ञा के प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन हेतु बाध्य होगा। (छ) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर द्वारा स्वयं के डेरी परिसर में मुख्य दीवार पर अनुज्ञापत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के समय प्रदर्शित न पाये जाने पर रू0 500/- का अर्धदण्ड आरोपित किया जाएगा। (ज) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समय-समय पर व्यावसायिक डेरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकेगा। अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर द्वारा अनुज्ञा के प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र का तात्कालिक निलम्बन अथवा पूर्णतः निरस्तीकरण किया जा सकेगा तथा अधिनियम की धारा-467 एवं धारा-451(3) के अनुरूप अर्धदण्ड का आरोपण किया जायेगा जिसकी राशि 5000/- प्रति अपराध तक हो सकेगी। (झ) नगर निगम द्वारा निर्गत अनुज्ञापत्र अनुज्ञा जारी किये जाने की तिथि से कुल 1(एक) वर्ष हेतु मान्य होगा। (ञ) अनुज्ञा दिये जाने हेतु अनुपयुक्तता की स्थिति में आवेदन के एक माह के भीतर सम्बन्धित प्रकरण के अस्वीकृति की सूचना निर्गत कर दी जायेगी। (ट) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञा के बिना व्यावसायिक डेरी परिसर संचालित किये जाने की दशा में नगर निगम अधिनियम की धारा-467 एवं धारा-451(3) के अनुरूप दण्ड का आरोपण किया जायेगा, जो रू0 25,000/- तक हो सकेगा। (ठ) डेरी पालन के लिए समय-समय पर रू0 500/- प्रतिपशु निर्धारित है। 2- उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त गोसदन/गोशाला के लिये कोई भी शुल्क नहीं जम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी तथा इस आशय का शपथ-पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञा जारी करने के बाद भी किसी भी रू0 300/- प्रतिपशु निर्धारित है। 2- उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त गोसदन/गोशाला के लिये कोई भी शुल्क नहीं जम्मेदारी अनुज्ञाधारी की जाती है तो निगम द्वारा जारी अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

5. अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण-अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के लिये अनुज्ञापत्र धारक की जम्मेदारी होगी कि वह अपना आवेदन पिछली अनुज्ञापत्र के समाप्त होने के 15 दिन पहले करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञापत्र समाप्ति के उपरान्त संचालक पर नियम 4(ट) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

6. 1-इन उपविधि के तहत अनुज्ञापत्र के लिये वार्षिक शुल्क प्रथम बार रू0 500/- प्रतिपशु व नवीनीकरण की स्थिति में रू0 300/- प्रतिपशु निर्धारित है। 2- उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त गोसदन/गोशाला के लिये कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा।

7. उक्त उपविधि के तहत जारी की गयी हर अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी अर्थात्—  
**(क)** प्रत्येक दुग्धशाला के फर्श को पूरी तरह से सूखा रखने की व्यवस्था पशु स्वामी द्वारा की जानी होगी तथा वायु के आवागमन एवं प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। **(ख)** पशुओं को रखने के स्थान पर पशुओं को विपरीत प्राकृतिक दशाओं में जैसे—तेज धूप, गर्मी, सदी व बरसात आदि से बचाव हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। **(ग)** डेरी स्वामी को अपनी डेरी से उत्पन्न गोबर के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी, जिसका प्रमाण भी अनुज्ञप्ति अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा व गोबर को सीवर अथवा खुले नाले में नहीं डाला जायेगा, कम्पोस्ट बनाकर अथवा किसी कम्पोस्ट/गोबर उत्पाद बनाने वाले उपक्रम को दिया जाना अथवा बायोगैस संयंत्र के द्वारा निस्तारण ही मान्य होगा। गोबर के निस्तारण के सम्बन्ध में समय-समय पर नगर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आशय का शपथ-पत्र भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। **(घ)** अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति अधिकारी को किसी भी संक्रामक रोग के बारे में तुरन्त सूचित करेगा एवं अपने संघ/राज्य पशुचिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशुचिकित्सक से समुचित उपचार हेतु बाध्य होगा अथवा संक्रमित पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखेगा।
8. दुग्धशाला के सभी पशुओं को माइक्रोचिप लगवाकर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी पशुओं की संतति का रिकार्ड समस्त डेरी स्वामियों द्वारा रखना अनिवार्य होगा।
9. किसी भी डेरी पशु स्वामी द्वारा अपने पशुओं को किसी भी परिस्थिति में सड़को पर अथवा अपने परिसर के बाहर खुला नहीं छोड़ा जायेगा। पशु के बाहर खुला छोड़े पाये जाने पर ₹0 1000/- प्रतिपशु प्रतिदिन/ उत्तराखण्ड गौश सखण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
10. **लेखाजोखा (रिकॉर्ड) रखना**— व्यावसायिक डेरी प्रतिष्ठान को अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद, प्रतिष्ठान द्वारा निम्न प्रपत्रों युक्त पंजीका में अभिलेखों का लेखाजोखा रखा जायेगा :-  
**(क)** निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप रखे गये सभी पशुओं का विवरण। **(ख)** पशुओं का पशुचिकित्सा स्वास्थ्य का विवरण। **(ग)** पशुओं के टीकाकरण/टॉक्साइड का विवरण। **(घ)** कृमिरोधी दवापान का विवरण। **(ङ)** पशुओं का गर्भाधान/नस्त का विवरण। **(च)** पशुओं के क्रय-विक्रय का विवरण।
11. कोई भी डेरी स्वामी अनुज्ञप्ति अधिकारी या किसी भी अधिकारी को किसी भी समय पर, डेरी का निरीक्षण करने के लिये आपत्ति नहीं कर सकता।
12. उपरोक्त उपविधियों के उल्लंघन पर रद्द की गयी अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण को पुनर्जीवित करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है जिस पर निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अनुज्ञप्ति अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। दो बार निरस्त की गयी किसी अनुज्ञप्ति को किसी भी दशा में पुनर्जीवित नहीं कराया जा सकेगा। उक्त प्रकार के अनुरोध किये जाने हेतु अधिकतम समय सीमा प्रथम निरस्तीकरण के एक माह तक होगी।
13. यदि कोई पशु बेचा जाता है या मरता है या निस्तारित किया जाता है तो इसकी जानकारी पशुपालक द्वारा नगर निगम के पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में 15 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि पशुपालक उक्तवत् अवधि में जानकारी नहीं देता तो पशु के कारण लगने वाले अर्थदण्ड का वहन पंजीकृत पशुस्वामी को ही करना होगा। यदि इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव किसी व्यक्ति को देने हों तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर कार्यालय वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम, देहरादून को उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति एवं सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। विस्तृत उपविधि नगर निगम, देहरादून की वेबसाईट [nagarnigamdehardun.com](http://nagarnigamdehardun.com) एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम, देहरादून के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में देखी जा सकती है।  
नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

### कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

दिनांक 10/06/2022

पत्रांक-58CV-A

1. सम्पादक **राष्ट्रीय सहस्र** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **निर्धारित** प्रतिशत छूट देते हुए सामाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **देहरादून संस्करण**
2. सम्पादक **दे जयप्रिय** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **निर्धारित** प्रतिशत छूट देते हुए सामाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **देहरादून संस्करण**
3. आईटीओ अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सार्वजनिक सूचना नगर निगम, देहरादून की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. नगर निगम नोटिस बोर्ड पर चर्या हेतु।

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी,  
नगर निगम, देहरादून।